

30/12/19


31/1/20

31/1/20

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-9 नियम-13 व धारा-151 सीपीसी पर एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-9 नियम-13 व धारा-151 सीपीसी प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या-24/2018 उनवानी शंकर वनाम राजेन्द्र वगेराह में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 25.03.2009 को जारी एक पक्षीय कार्यवाही कर वादग्रस्त भूमि के विभाजन के लिए जारी प्राथमिक डिक्री को निम्न कारणों से निरस्त कराने हेतु निवेदन किया कि प्रार्थीगण को जारी नोटिस उचित तामिल नहीं हुए है। प्रार्थना पत्र के साथ धारा-5 परिसीमा अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने में हुयी देरी को माफ करने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया ओर दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित प्रकरण संख्या-24/2018 दिनांक 15.03.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को बार-बार नोटिस जारी किया गया किन्तु तामिल कुलिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण ने नोटिस को पढकर भी नहीं लिया। प्रकरण में दिनांक 25.03.2019 को अर्थात एक वर्ष पश्चात एक तरफा कार्यवाही की गयी। इसके बाद विधिवत रूप से साक्ष्य वादी प्राप्त करने के बाद प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। डिक्री जारी किये जाने से प्रार्थीगण को कोई हानि नहीं हुयी है क्योंकि डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर की गयी है। इस प्रकार परीक्षण के बाद कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी है। प्रार्थी ने एक वर्ष से भी अधिक अवधि निकल जाने के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 व धारा-151 सीपीसी एवं धारा-5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 व धारा-151 सीपीसी एवं धारा-5 परिसीमा अधिनियम भारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद गुजरने मियाद दाखिल दफ्तर हो।


(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक